

में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए
 आलाह हाजा हाए खारिफ किया गया था
 वादी हाए वाद पुनः दस्तगत प्रकार
 दिनांक 2-9-24 को पेश किया गया। आलाह
 देह वर्ष वाद वादीगण ने उत्तर वाद पत्र
 को पुनः वाद के प्रस्तुत करने के अन्वित
 को प्रतिकूल रखते हुए वाद विंडल की
 अउमति वादी धी 17 बगि फगावली के शिफालेक
 कि प्रकार में लिखत स्तोवेको से लेक
 है कि वादीगण अल-हाए वाद प्रस्तुत कर
 न्यायिक प्रक्रिया का दुअपयोग कर रहे हैं।
 फिलामी अउमति वादीगण को प्रदान रखे
 की जा सकती है। आलाह वादीगण को
 Right of suit Reserve की अउमति
 प्राप्त की फगावली वादीगण के वाद को
 withdrawal रहे की अउमति दी जाती है।
 फगावली में फल मुकर हाएट वाफिल
 दफला है फ इम नखाले कर है।

सुरेश राय आर.ए.एस
 उपसुण्ड अधिकारी
 अनुपगढ़